न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–799/12(आरसीएमसी नं. 2012/00100)

1. साहबुदीन पुत्र चाहत,
2. अख्तर,
3. हारून,
4. दाउद,
5. इसलाम पुत्रान मंगली,
6. ईसब पुत्र सिप्पू, जाति मेव (मृतक) वारिसानः–
   6/1. आसू पुत्र ईसब जाति मेव,
   6/2. नियाजु पुत्र ईसब, जाति मेव,
   6/3. फत्तू पुत्र ईसब, जाति मेव,
   6/4. शरीफ पुत्र ईसब, जाति मेव, निवासीयान गाम मिर्जापुर, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मु. अफसरी बेवा हसन खॉ ,
2. ईशाक,
3. उमर खॉ ,
4. याकूब,
5. जुबेदा पुत्रान हसन खॉ, जाति मेव,
6. ममूना पुत्री हसन खॉ, जाति मेव, निवासीयान ग्राम जैरोली, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

––असल रेस्पोडेन्ट

7. अब्दुल करीम,
8. डूंडा पुत्रान मलखॉ, जाति मेव, निवासी ग्राम मिर्जापुर, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 31.01.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 31.08.2009 (प्रकरण संख्या 11/12/08) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 124 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर के अपीलान्ट के बुजुर्ग चाहत, मंगली, ईसब, मलखां खातेदार काश्तकार थे जैसा कि राजस्व रिकार्ड सैटलमेन्ट से पूर्व दर्ज है लेकिन सैटलमेन्ट सम्वत् 2029 में विवादित आराजी को बिना किसी अधिकार के असल रेस्पोडेन्ट के पति/पिता ने भू प्रबन्ध कर्मचारियों से

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सांठ–गांठ करके अपने नाम का इन्द्राज करा लिया, जिस इन्द्राज की जानकारी होने पर अपीलान्टान के बुजुर्ग चाहत, मंगली ने एक दावा असल रेस्पोडेन्ट के बुजुर्ग के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में दायर किया जिस दावे में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बुजुर्ग के माध्य आपस में राजीनामा हो गया जो राजीनामा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास, जिला अलवर के यहॉ पेश कर दिया गया जिस राजीनामा के आधार पर वाद का निर्णय किया गया और नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 29.08.80 को तहसीलदार किशनगढबास राजस्थान द्वारा विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुरूप दर्ज व तस्दीक किया गया है, ऐसी सूरत में असल रेस्पोडेन्ट अपने बुजुर्ग पति/पिता के कृत्य से पाबन्द है और अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने से एस्ट्रोप्ड है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया और अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य, कानूनी मौका पारित किया है, जो निरस्तनीय है और काबिल गौर न्यायालय श्रीमान् है तथा नामान्तरकरण संख्या 29 ग्राम सरपुर बदस्तुर बहाल किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असल रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम नितान्त गलत व झूठे व आधारहीन व साक्ष्यहीन तथ्य अंकित करते हुए पेश किया, अपील मनघडन्त तथ्य अंकित करते हुए दुर्भावना से पेश की गई, असल रेस्पोडेन्ट का यह कथन गलत है कि उनके पति व पिता हसन खॉ को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस नही दिया हो बल्कि सत्य कथन यह है कि हसन खॉ अधीनस्थ न्यायालय में मय वकील उपस्थित हुआ है और उन्होने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा तस्दीक कराया है जिसकी जानकारी हसन खॉ को एवं उसके वारिसान को थी अपीलान्ट ने कोई विवादित आराजी को बेचान की धमकी असल रेस्पोडेन्ट को नही दी, विवादित आराजी कभी असल रेस्पोडेन्ट के वंशजों की नही रही बल्कि हम अपीलान्ट के वंशजों की थी और आज भी कब्जा हम अपीलान्ट को चला आ रहा है, अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय में अपील करीब 28 साल बाद बिना कोई युक्तियुक्त कारण देरी का अंकित किये व बिना कोई साक्ष्य पेश किये पेश की गई, जो मियाद बाहर होने के कारण प्रथम स्टेज पर ही मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य थी परन्तु अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी हम अपीलान्ट के बुजुर्गो की है, जो सम्वत् 2029 से पूर्व खातेदारी की आराजी थी लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गलत इन्द्राज कर दिया जिसकी जानकारी होने पर उपखण्ड अधिकारी के यहॉ दुरूस्ती का दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी को नोटिस जारी हुए, प्रतिवादी ने दिनांक 09.11.79 को तहत अदालत में राजीनामा पेश कर दिया, उनकी पहचान वकीलों द्वारा की गई अब जमीनों भाव बढ जाने के कारण असल रेस्पोडेन्ट के मन में बेईमानी आ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गयी है और अपीलान्ट के खिलाफ असल रेस्पोडेन्ट ने रंजिशवश अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की क्योंकि अन्य प्रतिवादी सुब्बन व रहमत के वारिसान को कोई एतराज नही है, असल रेस्पोडेन्ट के कोई अधिकार विवादित आराजी में निहित नही है परन्तु अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही दिया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने आगे कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट ने अपने पति/पिता हसन खॉ द्वारा किये गये राजीनामा को आज तक चैलेन्ज नही किया है, राजीनामा दोनों पक्षकारान के वकीलों की मौजूदगी में हुआ जिस पर दोनों पक्षकारान के दस्तखत/अंगूठा निशानी है और उनकी पहचान उनके वकीलों ने की है, इसलिये असल रेस्पोडेन्ट अपने पति/पिता हसन खॉ के वादे से मुकर नही सकते है परन्तु अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.08.09 अपील संख्या संख्य 11/12/08 एवं नामान्तरकरण संख्या 29 वाके ग्राम सरपुर पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.1980 को बदस्तूर बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी गत खसरा नम्बर 44 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 124 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 0.37 व खसरा नम्बर 124 रकबा 0.42 हैक्टयर कायम किया गया है वाके ग्राम सरपुर तहसील किशनगढ बास जिला अलवर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व शेष रेस्पोडेन्ट के पिता श्री हसन खां पुत्र छोटा निस्फ हिस्सा था, किस जिस पर उसका कब्जा अपने जीवनकाल तक बतौर खातेदार के चला आ रहा था, उक्त श्री हसन खॉ का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा बतौर खातेदार के चला हा रहा है। उन्होने कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास ने अन्य हिस्से के साथ–साथ आराजी मुतनाजा के निस्फ हिस्से का नामान्तरकरण खातेदारी रेस्पोडेन्ट के पति व पिता के खिलाफ बाला–बाला एकतरफा में दिनांक 29.08.80 को श्री चाहत, मंगली मलखॉ व ईसब के नाम तस्दीक फरमाये जाने के आदेश फरमाया है, जो कानूनी गलत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.03.08 को हुई जब अपीलान्ट ने विवादित नामान्तरकरण की जानकारी देते हुए आराजी मुतनाजा को विक्रय करने की धमकी दी जिस पर रेस्पोडेन्ट ने पता कर दिनांक 18.03.08 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 26.03.08 को नकल प्राप्त हुई जिससे कथित वाद की जानकारी हुई उसके बाद रेस्पोडेन्ट ने जिस वाद का जिक्र किया गया है उसकी पत्रावली देखी व पता करा व पता चलने पर बाद कानूनी सलाह के अपील बिना किसी देरी के अपीलीय

संभागीय आयुक्त
P.T.O. जयपुर

न्यायालय के समक्ष पेश की गई है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी अलवर की कथित आज्ञा दिनांक 09.11.1979 के आधार पर विवादित नामान्तरकरण तस्दीक फरमया गया है वो गलत है क्योंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास का आदेश दिनांक 09.11.79 को वादीगण का वाद डिक्री नही फरमाया गया है और ना ही वादीगण को आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है और ना ही राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम का इन्द्राज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया गया है बल्कि उक्त आदेश दिनांक 09.11.79 को वादीगण का वाद खारिज फरमाया गया है। उन्होने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने आराजी मुतनाजा की बाबत अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने हेतु कोई कैफियत जारी नही की गई और ना ही पालना रिपोर्ट मांगी गई है बल्कि विवादित नामान्तरकरण में जिस वाद का जिक्र किया गया है वह केवल मात्र वाद की उनवान है व न्यायालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नही किया गया है कि आराजी मुतनाजा का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावें अथवा राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज किया जावें इस प्रकार तहसीलदार किशनगढबास ने बिना सक्षम न्यायालय की डिक्री के महज उनवान वाद के आधार पर विवादित नामान्तरकरण तस्दीक फरमाया है, जो कानूनन गलत है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील का गुणावगुण पर निस्तारण कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2009 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 29 उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के निर्णय दिनांक 09.11.79 के आधार पर तस्दीक किया गया है जबकि उभयपक्ष द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 09.11.79 की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नही की गई है तथा राजीनामा दिनांक 09.11.79 की नकल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध है, जो तस्दीकशुदा नही है एवं अन्य नकल भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा दिनांक 21.01.80 का दावा अदम हाजरी में खारिज किया गया है तथा तहसीलदार किशनगढबास द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस आधार के तहसीलदार किशनगढबास द्वारा तस्दीक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरकरण संख्या 29 ग्राम सरपुर को उचित नही ठहराया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट के निस्फ हिस्से की हद तक ही विवादित नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है, जो उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2009 एवं नामान्तरकरण संख्या 29 वाके ग्राम सरपुरा तहसील किशनगढबास पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.80 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार किशनगढबास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।